



Neutral Citation No-2026:AHC:1835

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4697 वर्ष 2025

लालती देवी याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कुंवर बिक्रम सूर्यवंश, प्रदीप कुमार श्रीनेत

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग किया है, जिसमें अपील संख्या-0366 वर्ष 2025, कम्प्यूटरीकृत केस संख्या-202554053100000366 (मनोज वगैराह बनाम ललता) में चकबंदी के निपटान अधिकारी द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया गया है। जिससे अपीलकर्ताओं (यहां प्रतिपक्षी प्रतिपक्षियों) को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है, जब तक कि अपील में दलीलें समाप्त नहीं हो जाती हैं, तब तक उत्तर प्रदेश चकबंदी/जोत नियमों के नियम 109 के तहत आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है।
3. लंबे समय तक विचार-विमर्श के बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने मौखिक रूप से चकबंदी के निपटान अधिकारी (प्रतिपक्षी संख्या-2) के खिलाफ एक परमादेश जारी करने के लिए प्रार्थना की है, जिसमें उसे इस न्यायालय द्वारा निर्देशित निर्धारित अवधि के भीतर लंबित अपील पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।
4. स्थायी अधिवक्ता को अपील के निपटान के लिए निर्देश जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है।



5. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (प्रतिपक्षी संख्या-3) को निर्देश देकर, प्रस्तुत रिट याचिका को अंतिम रूप से निपटाना उचित समझता है, जिसके समक्ष उपरोक्त अपील विचाराधीन है, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से, अधिमानतः, निर्णय लेने के लिए।

6. यह उम्मीद की जाती है कि यह कानून के अनुसार, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, एक तर्कसंगत और आख्यापक आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए।

7. उपरोक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 6, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)